Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2
ISSN No: 3049-4176

मध्यप्रदेश के ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निवारण में भृष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता का अध्ययन

भानुप्रिया आर्य
शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)
डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी
मार्गदर्शक, सहायक प्राध्यापक (विधि), चौधरी दिलीप सिंह, महाविद्यालय, भिंड (म. प्र.)
डॉ. गणेश दुबे
सह-मार्गदर्शक, प्राध्यापक (विधि),विधि अध्ययनशाला, जीवाजी, विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

सारांश
भृष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जन-विश्वास को कमजोर करता है। भारत में भृष्टाचार के निवारण हेतु विभिन्न विधिक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें भृष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) एक प्रमुख कानून है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश के ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निवारण में भृष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता का क्रमबद्ध एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े साक्षात्कार एवं क्षेत्रीय अवलोकन के माध्यम से तथा द्वितीयक आंकड़े लोकायुक्त संगठन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, न्यायिक निर्णयों, सरकारी प्रतिवेदनों एवं प्रकाशित शोध साहित्य से संकलित किए गए हैं। वर्ष 2018 से 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है कि शिकायतों, पंजीकृत प्रकरणों, अभियोजन स्वीकृति तथा दोषसिद्धि की स्थिति क्या रही है।
अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निरोधक कानून का विधिक ढाँचा पर्याप्त है, किंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक बाधाएँ विद्यमान हैं। अभियोजन स्वीकृति में विलंब, राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप, गवाह संरक्षण की कमी तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण दोषसिद्धि की दर अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। शोध निष्कर्ष यह इंगित करते हैं कि भृष्टाचार निरोधक कानून तभी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, जब उसके साथ मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति, न्यायिक तत्परता तथा जन-जागरूकता का समन्वय हो।
मुख्य शब्द: भृष्टाचार, भृष्टाचार निरोधक कानून, लोकायुक्त, ग्वालियर–चम्बल संभाग, प्रशासनिक पारदर्शिता

प्रस्तावना

भृष्टाचार आधुनिक शासन प्रणालियों की सबसे जटिल एवं व्यापक समस्याओं में से एक है। यह न केवल आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक न्याय, प्रशासनिक दक्षता और

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

लोकतांत्रिक मूल्यों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ पहले से विद्यमान हैं, भ्रष्टाचार विकास की गति को और अधिक धीमा कर देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में एक सशक्त, उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। किंतु समय के साथ यह अनुभव किया गया कि प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार शासन की विश्वसनीयता को कमजोर कर रहा है। इसी संदर्भ में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न विधिक उपाय अपनाए गए। प्रारंभ में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 लागू किया गया, जिसे बाद में अधिक व्यापक और सुदृढ़ रूप में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 का प्रमुख उद्देश्य लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी तथा अवैध लाभ प्राप्त करने जैसी गतिविधियों को दंडनीय बनाना है। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में किए गए संशोधनों द्वारा इसे और अधिक व्यापक बनाया गया, जिसमें रिश्वत देने वाले को भी दंड के दायरे में लाया गया। यह संशोधन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि भ्रष्टाचार को केवल प्रशासनिक समस्या न मानकर एक सामाजिक अपराध के रूप में देखा जाए।

मध्यप्रदेश का ग्वालियर–चम्बल संभाग ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र है। यह क्षेत्र लंबे समय तक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, सीमित औद्योगिक विकास तथा प्रशासनिक चुनौतियों से जूझता रहा है। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र, अशिक्षा, गरीबी और सीमित जागरूकता के कारण यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या अधिक जटिल रूप में दृष्टिगोचर होती है। प्रशासनिक सेवाओं, राजस्व विभाग, पुलिस, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती हैं। ग्वालियर–चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार की प्रकृति केवल आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार का भी हिस्सा बन चुकी है। कई बार नागरिक प्रशासनिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए रिश्वत को एक अनिवार्य प्रक्रिया मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी पृष्ठभूमि में यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि ग्वालियर–चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निरोधक कानून किस सीमा तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है। क्या यह कानून वास्तव में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सक्षम है, अथवा इसके क्रियान्वयन में निहित कमियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर रही हैं—इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास इस अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य है। यह अध्ययन न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि नीति-निर्माताओं, प्रशासकों तथा शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर किए गए इस प्रकार के अध्ययन से भ्रष्टाचार निवारण नीतियों को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने में सहायता मिल सकती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

भ्रष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कानून की वास्तविक सफलता उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। ग्वालियर–

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

चम्बल संभाग सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, प्रशासनिक चुनौतियों तथा सीमित जन-जागरूकता वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में भृष्टाचार की प्रकृति और तीव्रता शहरी एवं विकसित क्षेत्रों से भिन्न होती है। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि प्रायः राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, जबकि क्षेत्रीय स्तर की वास्तविक समस्याएँ अनदेखी रह जाती हैं। ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या यह कानून प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता तथा जवाबदेही स्थापित करने में सक्षम है या नहीं।
औचित्य की दृष्टि से यह शोध नीति-निर्माताओं, प्रशासकों तथा विधि-विदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके माध्यम से कानून के उन पक्षों की पहचान की जा सकेगी जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निरोधक कानून की संरचना एवं प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. भृष्टाचार से संबंधित मामलों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
3. कानून के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक एवं विधिक बाधाओं की पहचान करना।
4. लोकायुक्त एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. भृष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाएँ

1. ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निरोधक कानून का क्रियान्वयन अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं है।
2. अभियोजन स्वीकृति एवं न्यायिक प्रक्रिया में विलंब कानून की प्रभावशीलता को कम करता है।
3. जन-जागरूकता के अभाव में भृष्टाचार निरोधक कानून अपने उद्देश्यों की पूर्ण पूर्ति नहीं कर पा रहा है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े साक्षात्कार, अनौपचारिक चर्चा एवं क्षेत्रीय अवलोकन के माध्यम से संकलित किए गए हैं।
द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आंकड़े, न्यायिक निर्णय, सरकारी प्रकाशन तथा संबंधित शोध-ग्रंथों का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु तुलनात्मक एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

समीक्षा साहित्य

भृष्टाचार एवं उसके निवारण से संबंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन यह दर्शाता है कि भारत में भृष्टाचार निरोधक कानूनों का सैद्धांतिक ढाँचा मजबूत है, किंतु उनके क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ

विद्यमान हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों में प्रशासनिक हस्तक्षेप, धीमी न्यायिक प्रक्रिया तथा सामाजिक स्वीकृति को भृष्टाचार के प्रमुख कारणों के रूप में रेखांकित किया है।

मध्यप्रदेश से संबंधित अध्ययनों में यह पाया गया है कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भृष्टाचार की शिकायतें अधिक हैं, परंतु सामाजिक भय एवं अशिक्षा के कारण लोग औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। यह अध्ययन पूर्ववर्ती साहित्य को आधार बनाते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में नए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

सैद्धांतिक ढाँचा

भृष्टाचार निरोधक कानून का सैद्धांतिक आधार यह मानता है कि कठोर दंड, प्रभावी जांच तथा त्वरित न्याय के माध्यम से भृष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह सिद्धांत निवारक एवं दमनात्मक दोनों दृष्टिकोणों पर आधारित है। इस अध्ययन में संस्थागत सिद्धांत एवं सुशासन सिद्धांत को आधार बनाया गया है। संस्थागत सिद्धांत के अनुसार, जब तक प्रशासनिक संस्थाएँ पारदर्शी एवं जवाबदेह नहीं होंगी, तब तक कानून की प्रभावशीलता सीमित रहेगी। सुशासन सिद्धांत यह मानता है कि नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भृष्टाचार नियंत्रण के प्रमुख तत्व हैं।

ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार की स्थिति

ग्वालियर–चम्बल संभाग, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर एवं दतिया जिले सम्मिलित हैं, सामाजिक-आर्थिक विषमताओं, सीमित औद्योगिकीकरण तथा प्रशासनिक संसाधनों की कमी से प्रभावित क्षेत्र है। इन परिस्थितियों में भृष्टाचार की प्रकृति प्रायः दैनिक प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, राजस्व, नगर निकाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में परिलक्षित होती है। क्षेत्रीय स्तर पर यह देखा गया है कि छोटे-स्तर के लेन-देन, रिश्वत की मांग, सेवाओं में विलंब तथा विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भृष्टाचार के प्रमुख रूप हैं। नागरिकों में भय, अशिक्षा एवं कानूनी जानकारी के अभाव के कारण शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम पाई जाती है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

नीचे दी गई तालिकाएँ ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं:-

वर्ष	**दर्ज मामले**	**जाँच पूर्ण**	**अभियोजन स्वीकृति**	**सजा दर (%)**
2018	42	28	19	21
2019	47	31	22	23
2020	39	25	17	19
2021	44	29	21	22

2022	51	36	26	27
2023	56	41	31	29
2024	58	43	33	31

वर्ष-वार दर्ज भृष्टाचार प्रकरण (2018–2024)
स्रोत:लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश (संक्षिप्त आंकड़े)
तालिका से स्पष्ट है कि मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु सजा दर अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

केस स्टडी (Case Studies)

केस स्टडी–1: राजस्व विभाग में रिश्वत प्रकरण : मुरैना जिले में एक राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण प्रक्रिया में रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप ट्रैप कार्रवाई की गई। यद्यपि आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा गया, परंतु अभियोजन स्वीकृति में विलंब के कारण मामला लंबे समय तक लंबित रहा।

केस स्टडी–2: पुलिस विभाग में भ्रष्ट आचरण : भिण्ड जिले में एक थाना प्रभारी द्वारा विवेचना प्रभावित करने हेतु अवैध धनराशि की मांग की गई। जांच के उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ, किंतु साक्ष्यों की कमजोरी के कारण सजा नहीं हो सकी। यह केस कानून के क्रियान्वयन में संस्थागत कमजोरियों को दर्शाता है।

लोकायुक्त एवं भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भूमिका

लोकायुक्त संगठन एवं भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भृष्टाचार निरोधक कानून के प्रमुख क्रियान्वयन निकाय हैं। ग्वालियर–चम्बल संभाग में इन संस्थाओं द्वारा ट्रैप कार्रवाई, प्रारंभिक जांच तथा अभियोजन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। हालाँकि, सीमित मानव संसाधन, प्रशासनिक दबाव तथा अभियोजन स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया इनके कार्य को प्रभावित करती है। यदि इन संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता एवं संसाधन प्रदान किए जाएँ, तो कानून की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि ग्वालियर–चम्बल संभाग में भृष्टाचार निरोधक कानून का अस्तित्व तो सुदृढ़ है, किंतु उसका क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर तक प्रभावी नहीं हो पाया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कानून ने भृष्टाचार के विरुद्ध भय का वातावरण तो निर्मित किया है, परंतु दंडात्मक परिणामों की न्यूनता के कारण इसका निवारक प्रभाव सीमित रह गया है।
सांख्यिकीय विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि दर्ज मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु सजा दर अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण अभियोजन स्वीकृति में विलंब, साक्ष्य संकलन की कमजोरी तथा न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता है।

केस स्टडी के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भृष्टाचार निरोधक कानून का प्रभाव तब अधिक होता है, जब शिकायतकर्ता को संस्थागत संरक्षण प्राप्त हो तथा जांच एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

सुझाव

भृष्टाचार निरोधक कानून की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं -

1. अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया जाए।
2. लोकायुक्त एवं ACB को अधिक स्वायत्तता एवं संसाधन प्रदान किए जाएँ।
3. ग्वालियर–चम्बल संभाग में विशेष भृष्टाचार न्यायालयों की स्थापना की जाए।
4. जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए।
5. सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शिता बढ़ाई जाए।

अध्ययन की सीमाएँ एवं भविष्य के शोध की दिशा

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह अध्ययन मुख्यतः उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों एवं सीमित प्राथमिक जानकारी पर आधारित है। कुछ प्रकरणों में अद्यतन आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण व्यापक विश्लेषण संभव नहीं हो सका। भविष्य में शोधकर्ता तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से अन्य संभागों के साथ ग्वालियर–चम्बल संभाग की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम एवं भृष्टाचार निरोधक कानून के संयुक्त प्रभाव का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण शोध विषय हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार (1988, संशोधित 2018). भृष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2. भारत सरकार (2005). सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005. नई दिल्ली: भारत सरकार।
3. लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश (2018–2024). वार्षिक प्रतिवेदन. भोपाल: मध्यप्रदेश शासन।
4. शर्मा, रामकुमार (2019). भारत में भृष्टाचार: कारण एवं निवारण. नई दिल्ली: राज पब्लिकेशंस।
5. वर्मा, सुनीता (2020). प्रशासनिक सुधार और सुशासन. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
6. सिंह, अरुण कुमार (2018). भारतीय लोक प्रशासन में पारदर्शिता. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
7. मिश्रा, ओमप्रकाश (2021). भृष्टाचार निरोधक कानून: एक समीक्षात्मक अध्ययन. नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस।
8. यादव, के.एन. (2022). "भृष्टाचार नियंत्रण में लोकायुक्त की भूमिका". भारतीय प्रशासनिक अध्ययन पत्रिका, 15(2), 45–58।
9. त्रिपाठी, विनोद (2020). "सूचना का अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही". समकालीन विधि समीक्षा, 8(1), 73–89।
10. मध्यप्रदेश शासन (2023). भृष्टाचार निवारण एवं लोकायुक्त मार्गदर्शिका. भोपाल: गृह विभाग।